

पत्रांक-7/पद सृजन-15-01/2015 सा0प्र0...../

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

वित्त विभाग द्वारा
औपचारिक रूप प्रेषक,
से परामर्शित।

रामेश्वर प्रसाद दास,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ,
पटना।

पटना-15, दिनांक.....

विषय:- राज्य के विभिन्न न्यायमंडलों के अंतर्गत अनुमंडलीय न्यायालयों के गठन हेतु
न्यायिक पदाधिकारियों के पदों का सृजन।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है निबंधक (प्रशासन), उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक-8096 दिनांक 10.02.2015 द्वारा 15 (पंद्रह) अनुमंडलीय न्यायालयों के लिए प्रत्येक अनुमंडलीय न्यायालय में एक सब जज एवं एक मुंसिफ के कुल (15 x 2) 30 (तीस) पद, पत्रांक-8940 दिनांक 13.02.2015 द्वारा सब जज के 03 (तीन) पद एवं मुंसिफ के 02 (दो) पद कुल 05 (पाँच) पद एवं महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के ज्ञापांक-7757 दिनांक 09.02.2015 द्वारा महाराजगंज अनुमंडलीय न्यायालय के लिए सब जज के 01 (एक) पद, अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी के 01 (एक) पद, मुंसिफ के 01 (एक) पद एवं न्यायिक दंडाधिकारी के 02 (दो) पद कुल 05 (पाँच) पद सहित कुल 40 (चालीस) पदों के निम्नरूपेण सृजन की अनुशंसा प्राप्त है:-

क्र० सं०	अनुमंडल का नाम	न्यायमंडल का नाम	पदों की संख्या				कुल पद
			सब जज (सिविल जज वरीय कोटि)	अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी (सिविल जज कनीय कोटि)	मुंसिफ (सिविल जज कनीय कोटि)	न्यायिक दंडाधिकारी (सिविल जज कनीय कोटि)	
1	बखरी	बेगुसराय	01	00	01	00	02
2	कहलगाँव	भागलपुर	01	00	01	00	02
3	डुमराँव	बक्सर	01	00	01	00	02
4	चकिया	पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)	01	00	01	00	02
5	अरेराज	पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)	01	00	01	00	02
6	पकरीदयाल	पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)	01	00	01	00	02
7	टेकारी	गया	01	00	01	00	02
8	अरवल	जहानाबाद	01	00	01	00	02
9	बारसोई	कटिहार	01	00	01	00	02
10	गोगरी	खगड़िया	01	00	01	00	02
11	बनमनखी	पूर्णियाँ	01	00	01	00	02
12	बायसी	पूर्णियाँ	01	00	01	00	02
13	धमदाहा	पूर्णियाँ	01	00	01	00	02
14	शाहपुर पटोरी	समस्तीपुर	01	00	01	00	02
15	नरकटियागंज	पश्चिम चम्पारण (बेतिया)	01	01	01	02	05
16	महाराजगंज	सीवान	01	00	00	00	01
17	बिरौल	दरभंगा	01	00	01	00	02
18	बेनीपट्टी	मधुबनी	01	00	01	00	02
19	पालीगंज	पटना	01	00	01	00	02
कुल			19	01	18	02	40

20

2. उक्त अनुशांसा पर सम्यक विचारोपरांत उपर्युक्त कुल 19 अनुमंडलीय न्यायालयों के गठन हेतु निबंधक, प्रशासन के पत्रों सह संलग्न विवरणी में अंकित पद संवर्ग के सम्मुख अंकित वेतनमान में रु0 4,09,75,194/-(चार करोड़ नौ लाख पचहत्तर हजार एक सौ चौरानबे) के वार्षिक तथा न्यायिक सेवा संवर्गों में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत भत्तों के अनुमानित व्यय भार पर गैर योजना मद में स्थायी रूप से न्यायिक पदाधिकारियों के कुल 40 (चालीस) पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उपर्युक्त सृजित किये जाने वाले पदों का व्यय-बजट शीर्ष "2014 न्याय प्रशासन-लघु शीर्ष-105 सिविल और सेशन न्यायालय उपशीर्ष-0001 सिविल और सत्र न्यायालय के अन्तर्गत वेतन एवं भत्ते मद से वहन किया जाएगा, जिसका विपत्र कोड सं0-"N-2014001050001" होगा एवं संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।

4. इसमें प्रशासी पद वर्ग समिति की स्वीकृति एवं मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन प्राप्त है।
अनुलग्नक:-व्यय विवरणी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(रामेश्वर प्रसाद दास)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-7/पद सृजन-15-01/2015सा0प्र0.....4585/पटना-15, दिनांक.25-3-15
प्रतिलिपि:-वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/विधि विभाग, बिहार, पटना/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 19.03.2015 के मद संख्या-04 के प्रसंग में/सभी विभाग/सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सभी कोषागार पदाधिकारी एवं आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

व्यय-विवरण

सचिका संख्या-7/पद सृजन-15-01/2015

राज्य के विभिन्न न्यायमंडलों के अंतर्गत अनुमंडलीय न्यायालयों के गठन हेतु न्यायिक

पदाधिकारियों के पदों के सृजन पर होने वाले व्यय की विवरणी:-

क्र0	पदनाम	पद संवर्ग	पदों की संख्या	वेतनमान	औसत वेतन	वार्षिक (औसत वेतन X पदों की संख्या X 12)	मं0 भत्ता @ 107 %	योग (6 + 7)
1	सब जज	2	3	4	5	6	7	8
1			19	39530-920-40450-1080-49090-1230-54010	46770 /-	1,06,63,560 /-	1,14,10,009 /-	2,20,73,569 /-
2	अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी	स्विवल जज (कनीय कोर्ट)	01	27700-770-33090-920-40450-1080-44770	36235 /-	91,31,220 /-	97,70,405 /-	1,89,01,625 /-
3	मुंसिफ		18					
4	न्यायिक दंडाधिकारी		02					
		कुल	40				योग	4,09,75,194 /-

कुल वार्षिक व्यय का योग - 4,09,75,194 /- (चार करोड़ नौ लाख पचहत्तर हजार एक सौ चौरानबे) रूपये मात्र।
 नोट:- उपर्युक्त व्यय के अतिरिक्त समय-समय पर न्यायिक सेवा में नियमानुसार देय भत्ता भुगतये होगा।

(रामेश्वर प्रसाद दास)
सरकार के उप सचिव।

22/03/15

